महत्वपूर्ण एवं खास

सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर साढ़े आठ लाख रूपये की ठगी

रायपुर (आरएनएस)। प्रशासनिक विभाग नगरीय निकाय में नौकरी दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से साढ़े आठ लाख रूपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। घटना की रिपोर्ट अभनपुर थाना में दर्ज कराई गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी उत्तम ढीढी (45) निवासी बड़े उरला अभनपुर ने कल शाम को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी देवचरण टण्डन पिता मंगलराम ने प्रशासनिक विभाग नगरीय निकाय रायपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर उससे नगद एवं चेक के जरिए 8 लाख 50 हजार रूपये लिए थे, लेकिन नौकरी नहीं दिलाते हुए धोखाधड़ी की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।

नशे के खिलाफ दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्यवाही

» मादक एवं नशीली दवाई बरामद

भिलाई (आरएनएस)। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दुर्ग हिमांशु गुप्ता, पुलिस अधीक्षक प्रखर पाण्डेय के मार्गदशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर रोहित झा, नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर अजीत यादव एवं नगर पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला नोडल अधिकारी नशा मुक्ति अभियान के नेतृत्व में चलाये जा रहे नशा मुक्ति अभियान जिओ खुलकर के तहत लगातार अवैध कारोबार के खिलाफ कार्यवाई की जा रही है उसी क्रम में थाना प्रभारी नेवई के निर्देशन में उप निरीक्षक के.एल.गौर द्वारा 16 अक्टूबर 2019 को शमीम सुपर मार्केट रिसाली के पास आरोपी अनिल सिंह पिता चन्द्रिका सिंह पता आजाद मार्केट रिसाली थाना नेवई के कब्जे से ओएनआरईएक्स सिरप 100 एमएल वाला 15 नग, डब्ल्यूएलएनसीओआरईएक्स सिरप 100 एमएल वाला 20 नग एवं एएलपीआरएसीएएन 0.5 एमजी टीएबीईटी (एएलपीआरओजेडओएलए एएम)-750 टीएबीएलईटी, एएलपीआरओडब्ल्यूआईएन 0.5 एमजी एएल पीआरओजेडओएलएएम 320 टीएबीएलईटी नशीली औषधी दवाईयों की कुल कीमती 7340 रु को थाना नेवई पुलिस स्टाफ एवं औषधि निरीक्षक दुर्ग द्वारा सयुक्तकार्यवाही किया जाकर थाना नेवई में एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है इसके अलावा पुलिस प्रशासन के द्वारा नशे के खिलाफ प्रचार-प्रसार करने एवं जनता को जागरुक करने व नशे के आदी लोगों को पुर्नवास कराने का कार्य किया जा रहा है एवं नशे व्यापारी एवं अवैध व्यापार करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी कार्यवाही जारी रहेगी।

साउथ अफ्रीका में बिना वेतन काम कराये जाने के मामले में धरसींवा की फाउचुन मेटेलिक कंपनी के खिलाफ अपराध दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के धरसींवा क्षेत्र के कपसदा में संचालित फाउचुन मेटेलिक प्रा.लि. कंपनी द्वारा उत्तराखंड के एक व्यक्ति को साउथ अफ्रीका की कंपनी भेजकर वहां बिना वेतन दिए उससे काम कराए जाने का मामला प्रकाश में आया है। धरसींवा थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी प्रेम सिंह डभारो मुलतः काशीपुरा जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड का रहने वाला है। प्रार्थी कपसदा धरसींवा में स्थित फाउचुन मेटेलिक प्रा.लि. में काम करता था। यहां काम करते हुए फाउचुन कंपनी के संचालक ने उसे साउथ अफ्रीका की कंपनी में काम करने के लिए भेजा था, जहां उससे बिना वेतन दिए काम करा रहे थे। इससे परेशान होकर प्रार्थी ने विदेश मंत्रालय में आवेदन दिया था, जिसकी जांच पर आज धरसींवा पुलिस ने फाउचुन कंपनी के संचालक के खिलाफ धारा 10, 24, 25, प्र. अधि. 370 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

एक पिस्टल व दो जिंदा कारतुस के साथ तीन गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी में बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक घूम रहे तीन युवकों को पुलिस ने एक पिस्टल व दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने आज इसका खुलासा करते हुए बताया कि शहर में अवैध तरीके से कट्टा व पिस्टल की खरीदी बिक्री होने की सूचना प्राप्त होने पर आरोपियों की धरपकड़ हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आरिफ एच शेख द्वारा सभी थाना प्रभारियों को आरोपियों की तस्दीकी एवं पतासाजी हेतु लगाया गया था। इसी क्रम में थाना आजाद चैक की टीम को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति बजरंग नगर स्थित मंगलम भवन पास खड़ा है तथा वह पिस्टल रखा है। जिस पर थाना प्रभारी आजाद चौक द्वारा एक टीम बनाकर उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के आधार पर आरोपी की पतासाजी की जा रही थी इसी दौरान थाना गंज का निगरानी बदमाश गुरूजोत सिंह पुलिस टीम को देखकर भागने लगा जिसे टीम द्वारा घेराबंदी कर दौड़ाकर पकड़ा गया। टीम द्वारा आरोपी गुरूजोत सिंह की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 01 नग पिस्टल मिला। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी गुरूजोत सिंह ने बताया कि पिस्टल का राउण्ड उसके साथी शेख शाहरूख एवं शेख कासिम के पास है तथा वह दोनों को पिस्टल का जिंदा राउण्ड लेकर मंगलम भवन के बुलाया है। जिस पर टीम द्वारा दोनों आरोपियों को पकड़ने हेतु ट्रैप पार्टी लगाया गया तथा जैसे ही दोनों आरोपी मंगलम भवन पास पहुंचे टीम द्वारा दोनों आरोपियों को पकड़कर उनके कब्जे से 01-01 नग जिंदा राउण्ड जप्त किया गया। आरोपी गुरूजोत सिंह एवं शेख शाहरूख थाना गंज के निगरानी बदमाश है जिनके विरूद्ध हत्या के प्रयास, मारपीट, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट, नारकोटिक्स एक्ट एवं धारा 151 जा.फौ. के दर्जनों भर से अधिक मामले पंजीबद्ध है। आरोपियों के विरूद्ध थाना आजाद चौक रायपुर में धारा 25 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 नग पिस्टल एवं 02 नग जिंदा राउण्ड जप्त किया गया। आरोपियों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

राज्यपाल ने इंडोर स्टेडियम में आयोजित कवि सम्मेलन का किया शुभांरभ

रायपुर (आरएनएस)। राज्यपाल सुअनुसुईया उइके ने कल इंडोर स्टेडियम में आयोजित देसी टॉक कवि सम्मेलन का शुभांरभ किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। इस अवसर पर राज्यपाल सुउइके ने संबोधित करते हुए कहा कि साहित्य जगत में ऐसा माना जाता है कि जहां रवि नहीं पहुंच पाता है, वहां कवि पहुंच जाते हैं। कवि और उसकी कविता समाज का दर्पण होता है। समाज में जो भी घटना घटती है या परिवर्तन आता है उसे वह देखता है उसको अपनी कविता के माध्यम से सभी के समक्ष प्रस्तुत करता है। कविता के माध्यम से कही गई बातें सभी व्यक्तियों के दिलों-दिमाग तक पहुंच जाती है और व्यक्ति उस पर आचरण करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए कवियों को चाहिए कि वे समाज के समक्ष उन सभी बातों और परिवर्तनों को लाएं जो आदर्श समाज के निर्माण के लिये आवश्यक हों।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कई प्रतिष्ठित कवि हुए हैं, जिन्होंने प्रदेश का मान बढ़ाया है, उन्हें मैं नमन करता हूं। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, रायपुर के महापौर प्रमोद दुबे, पूर्व मंत्री एवं विधायक सत्यनारायण शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, प्रेमप्रकाश पाण्डेय, विधायक कुलदीप जुनेजा, विकास उपाध्याय सहित राज्यपाल के सचिव सोनमणि बोरा भी उपस्थित थे।

स्टीकर लगे फलों का विक्रय पर लगा प्रतिबंध

रायपुर (आरएनएस)। खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश के सभी फल विक्रेताओं को स्टीकर लगे हुए फल नहीं बेचने की अपील की है। साथ ही आम जनता से भी स्टीकर लगे हुए फल नहीं खरीदने की अपील की है। कोई भी खाद्य कारोबारी असुरक्षित खाद्य का संग्रह, वितरण और विक्रय करते पाया जाएगा तो उनके विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 59 की तहत कारावास एवं जुर्माने कार्रवाई की जाएगी।

नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार बाजार में बिकने वाले सेब, आम, संतरा, अमरूद, केला, सीताफ ल, नाशपाती आदि फ लों में स्टीकर चिपके होते हैं। अधिकांश व्यापारी फल के ऊपर स्टीकर का इस्तेमाल प्रीमियम दिखाने या कई बार फलों के खराब हिस्सों की खामियां छुपाने के लिए करते हैं। फलों पर जो स्टीकर चिपके होते है उन पर व्यापारी की ब्राण्ड के नाम, ओके टेस्टेड, बेस्ट क्वालिटी या फल का नाम लिखा होता है। फल विक्रेता फलों में स्टीकरों का इस्तेमाल उत्पाद को प्रीमियम दर्जे का दिखाने के लिए करते है। फलों के ऊपर लगे स्टीकर में कैमिकल होता है और कैमिकल की वजह से फल दूषित हो जाता है। स्टीकर के गोंद में खतरनाक कैमिकल होते

है, जो मानव के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य कारोबारी असुरक्षित खाद्य का संग्रह, वितरण, विक्रय नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सड़ी-गली फलों एवं सब्जियों का विक्रय नहीं करेगा। फल एवं सब्जियों में मोम, खनिज तेल, रंगों का आलेपन भी नहीं करेगा और फलों को कार्बाइट के रूप में सामान्य रूप से ज्ञात एसीटिलिन गैस का प्रयोग करके कृत्रिम रूप से पका कर विक्रय नहीं करेगा।

कश्मीर में छत्तीसगढ़ के मजदूर की हत्या : सीएम ने हर संभव मदद का किया ऐलान

रायपुर (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने छत्तीसगढ़ के एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर के रहने वाले सेठी राम सागर कश्मीर के ईंट भट्ठे में काम करने गया था। जिस इलाके में वो रहता था वहां आतंकियों की घुसपैठ का इनपुट सेना को मिला था। सेना के जवानों द्वारा वहां पहुंचने पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसमें सेना के जवानों ने तीन आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों ने सेठी राम सागर को निशाना बनाते हुए उसे गोली मार दी। इससे सेठी की मौके पर ही मौत हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आतंकियों द्वारा सेठी सागर की हत्या की निंदा की है, साथ ही मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश भी दिए है।

आवश्यकता है
CAREER SCHOOL
अंग्रेजी माध्यम (English Medium)
में कक्षा 8 वीं, 9वीं एवं 10वीं के लिए
गणित एवं अंग्रेजी विषय हेतु अनुभवी
एवं योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है।
वेतन योग्यतानुसार
मिलने का समय- सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक
अभ्यार्थी अपना संपूर्ण बायोडाटा के साथ उपस्थित होवें।
CAREER SCHOOL
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, रायगढ़

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक
आवश्यकता
उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।
पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।
अन्य बिन्दु
पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001
www.nyaysakshi.com
सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तत्काल आवश्यकता है
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090
ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग
वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....
न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की
खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090